


19.11.19

पत्रावली पेश हुई। वकील जदी खजिर। जदी प्रकरण
आगे चलाया नहीं जाते हैं। वकील जदी ने 'नो एसे'
कर कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया। चूंकि
जदी जद चलाया नहीं जाते हैं। अतः प्रकरण में
कार्यवाही खारिज की जाती है। मिसल फंसल शुमार
होकर नखरे से कम की जाकर दखिल वपहर हो।

19/11/19



19/11/19



